पूरा झारखण्ड

जो मिला और जो नहीं मिला

झारखंड के नवनिर्माण के लिये झारखंडी जनता का

घोषणा-पत्र

(एक मसविदा)

लोक जागृति केन्द्र

झारखंड राज्य

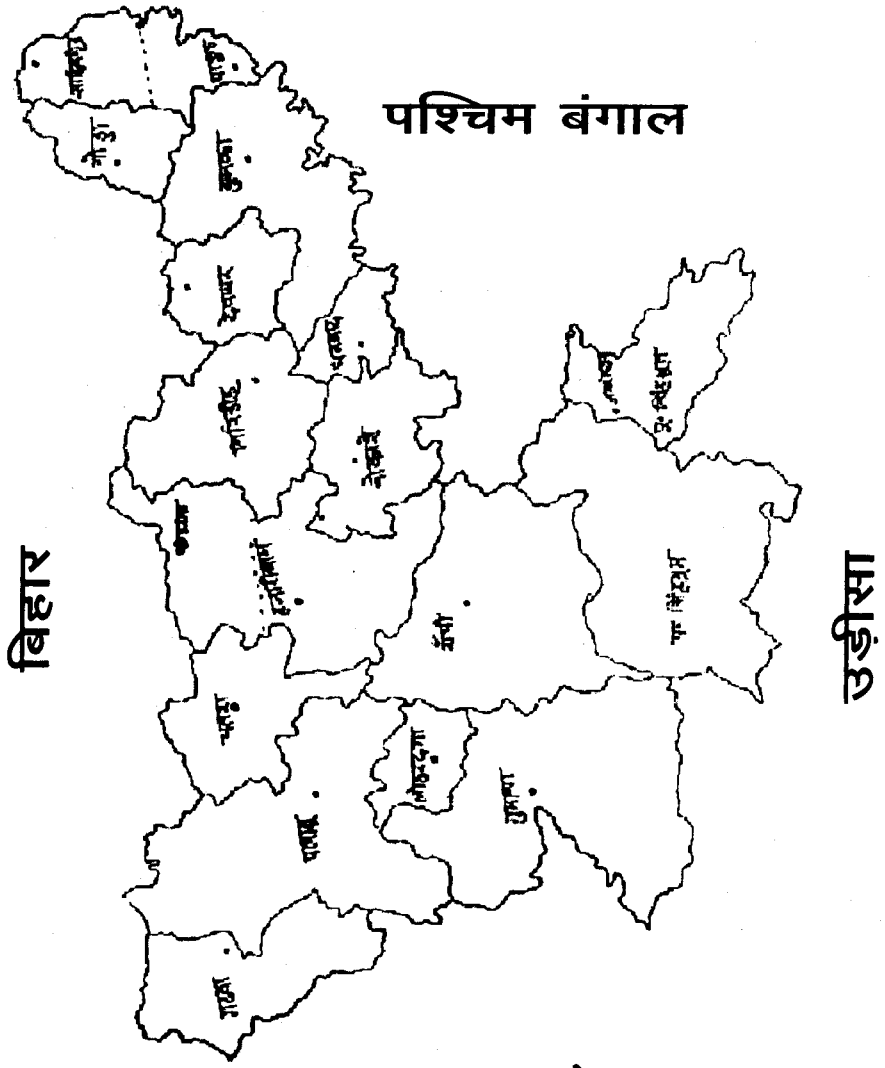

झारखंड के नवनिर्माण

के लिये

झारखंडी जनता

का

घोषणा-पत्र

(एक मसविदा)

संकलन एवं संपादन :
सीताराम शास्त्री

प्रकाशक :
लोक जागृति केन्द्र
मधुपुर, देवघर (झारखंड)

मुद्रक : सरस्वती प्रेस, मधुपुर।

सहयोग राशि - 10 रू० मात्र

आमुख

झारखंड बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी। दिमाग में यह घूमने लगा कि आखिर झारखंड कैसा होगा? क्या झारखंड झारखंडियों का होगा या किसी और का होकर रह जायेगा?

इसी क्रम में हमलोगों ने झारखंड के विभिन्न तबकों के बीच बातचीत की एक प्रक्रिया शुरू की। इन वार्ताओं में सभी लोग शामिल हैं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्ता, मजदूर, महिलाएँ, किसान, व्यवसायी, माझी हड़ाम आदि सभी। कहीं अकेले में, कहीं सामूहिक रूप से। लोगों से जो विचार मिले हैं उनको यहां व्यवस्थित रूप से रखने की कोशिश की गई है।

हम सब वर्षों से यह कहते आ रहे हैं कि झारखंडी जनता को सही मायने में जनतांत्रिक सत्ता हासिल करनी है, जल, जंगल और जमीन पर अपना अधिकार एवं नियंत्रण कायम करना है। आशा करें कि झारखंडी जनता की आकांक्षाएँ आने वाले वर्षों में पूरी होंगी। हमारी आशा और विश्वास है कि घोषणा - पत्र की यह मसविदा लोगों को उस दिशा में बढ़ने में सहायक होगी।

25 दिसम्बर, 2000

अरविन्द कुमार

झारखंड के नवनिर्माण के लिये

झारखंडी जनता का

घोषणा-पत्र

(एक मसविदा)

15 नवम्बर **2000** को झारखंड राज्य का गठन हो गया है। हम झारखंडियों की दीर्घकालीन मनोकामना एक हद तक पूरी हुई। अभी तो सिर्फ झारखंड के बिहार वाले हिस्से को लेकर प्रांत बना है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) में स्थित झारखंड के हिस्सों को नवगठित झारखंड राज्य में शामिल करना बाकी है। फिर भी आंशिक राज्य का गठन भी एक बड़ी उपलब्धि है और बड़ी खुशी की बात है। झारखंडी अस्मिता को संवैधानिक मान्यता मिली है। इससे हमारा आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा है। अब हम और भी दृढ़ कदमों से झारखंड के नवनिर्माण के लिये आगे बढ़ेंगे।

झारखंड के बाकी सभी हिस्सों को झारखंड में शामिल करने का संघर्ष जारी रखते हुए हमें झारखंड के नवनिर्माण के महायज्ञ में जुट जाना है। वैसे इस नवनिर्माण की प्रक्रिया में भी हमें बहुत सारे संघर्ष करने होंगे।

झारखंड का नवनिर्माण एक नये प्रकार के निर्माण से होगा। अब तक झारखंड का जो निर्माण या विकास हुआ वह निर्माण कम और विनाश ज्यादा हुआ है। झारखंड में साम्राज्यवादी-पूंजीवादी पूंजी के प्रवेश के साथ, पिछले लगभग २०० वर्षों में व्यवसाय के हित में झारखंड के जंगलों को आरक्षित किया गया और जंगलों में बसे हुए आदिवासियों के सैकड़ों गांव उजाड़ दिये गये। खनिजों के खनन के लिये बड़े पैमाने पर झारखंडियों की जमीनों पर दखल किया गया जिससे लाखों झारखंडी विस्थापित हुए। बहुत सारे कारखाने और शहर बने, सड़कें और रेल-लाईनें बिछाई गयीं और लाखों लोग उजड़ गये। झारखंड से लाखों की संख्या में लोगों का पलायन

होता गया। उजड़े हुए लाखों झारखंडी ठेकेदार मजदूरों, रिक्शावालों, घरेलू नौकरों आदि में तब्दील होते गए। अपराध का अर्थ नहीं जानने वाले झारखंडियों में अपराध की प्रवृत्तियाँ विकसित की गयीं।

बाहर से पूंजी लेकर आये लोगों ने न सिर्फ झारखंड की जनता को तबाह किया बल्कि झारखंड के पूरे पर्यावरण को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। जंगलों के विनाश से जमीनों की जल-ग्रहण क्षमता घटती चली गयी। पहाड़ नंगे होते गये, मिट्टी दरकती गयी, नदियाँ सूख चलीं। रहा-सहा पानी प्रदूषित किया गया जिससे मछलियाँ मर गयीं। जल एवं वायु प्रदूषण से बीमारियाँ फैलने लगीं।

आज इसी पृष्ठभूमि में हमें झारखंड प्रांत मिला है। आज लोग हमारे विकास की बात कर रहे हैं। कैसा विकास ? आज तक झारखंड में जो कुछ किया गया है, क्या इसी को विकास कहते हैं? अगर ऐसा है तो निश्चय ही हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हम झारखंडियों के लिये मौजूदा परिस्थितियों में विकास का मतलब यही होगा कि हम अपने इलाके में अपने लोगों के बीच सावुत बचे रहें। कोई हमें हमारी जमीनों से न उजाड़े। झारखंड के जल, जंगल और जमीन पर हमारे परम्परागत हकों को न छीने, यही काफी है। हमें अपने ढंग से अपनी जिन्दगी जीने दीजिए। बस, इसी से हम खुश रहेंगे। हम अपना भोजन जुटा लेंगे। हम प्रकृति के साथ एकाकार होकर सारा वर्ष जीवन का उत्सव मनायेंगे। बस, आप कृपा करके हमें और हमारे झारखंड को बख्श दीजिए।

जो झारखंडी साल भर जीवन का उत्सव मनाता था वह आज साल भर दो रोटी के लिये दर-दर ठोकरें खाता घूम रहा है। इस उजड़े दयार में अपनी जमीनों से उखड़े हम झारखंडी भूखे पेट उत्सव मनायें तो कहाँ ?

झारखंड की तमाम सम्पदा और शासन व्यवस्था पर वे ही सब लोग कुंडली मारकर बैठे हुए हैं जिनकी बदौलत झारखंड एवं झारखंडियों की दुर्दशा हुई है। इनके हटने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। वे खुद अपने विकास की योजनाएँ चलाने के लिये जमकर बैठे हुए हैं। अब और भी बड़ी परियोजनाएँ चलायी जायेंगी। बड़े बांध, बड़े खदान, बड़े कारखाने - और पुनः लाखों लोगों को उजाड़ने की तैयारियाँ चल रही है। उनसे होनेवाले उत्पादों की वृद्धि को ही वे झारखंड के विकास का सूचकांक बतायेंगे जबकि वास्तव में पहले की तरह झारखंडियों की तबाही होती जायेगी। लोगों की जमीनें जायेंगी, लोग उजड़ेंगे और पेट भरने के लिये दूर-दराजों को पलायन के लिये बाध्य होंगे। दो से अधिक बच्चे न होने पर भी लोगों के बंध्याकरण और नसबंदी का सिलसिला तेज होगा। कारखानों-खदानों से निकलने वाला माल और मुनाफा झारखंड के बाहर जाता रहेगा। जो राजस्व मिलेगा वह नौकरशाही के काम आयेगा। हाँ, एक छोटा सा मध्य वर्ग भी फलेगा-फूलेगा, जिसमें थोड़े से झारखंडी भी होंगे और ये थोड़े से झारखंडी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग में बने रहने के लिये झारखंड की इस लूट और 99 प्रतिशत झारखंडियों की तबाही पर चुपचाप सहमति जताते रहेंगे।

पूँजी में बड़ी ताकत है। अगर यह मुनाफाखोरों के हाथ में हो तो इससे झारखंड का वही हाल होगा जो ऊपर कहा गया है, पूँजी हमारे नियन्त्रण में हो तो हम अपने सपनों और अपने उत्सव का झारखंड बनायेंगे। अगर पूँजी पर हमारा नियन्त्रण नहीं होगा, जो वास्तव में है भी नहीं, तो बेहतर है बाहर के उपरोक्त मुनाफाखोरों की पूँजी यहाँ न ही आये। हम तभी सुखी रहेंगे।

पूरे झारखंड के लिये संघर्ष जारी रहेगा

झारखंड मिलने की खुशी में हम न भूलें कि अभी भी झारखंडी जातियों की सघन आबादी का बड़ा हिस्सा नवगठित प्रांत के बाहर है। इस हिस्से को झारखंड प्रांत में शामिल करने का संघर्ष नवनिर्माण संघर्ष के साथ-साथ चलता रहेगा।

जो लोग झारखंड की अवधारणा से अनभिज्ञ हैं या मतलब नहीं रखते उनके लिये छोटानागपुर-संथालपरगना की प्रशासनिक इकाई ही झारखंड है; उनको इस बात से मतलब नहीं है कि झारखंड किन जातियों की ऐतिहासिक भूमि है, उनको इस बात की चिन्ता नहीं है कि यह किन जातियों की अस्मिता की प्रतिष्ठा का द्योतक है। उनको तो बस अपनी राजनीति की रोटी सेंकने और लूट का धंधा तेज करने के लिये एक जगह चाहिए। लेकिन हमारे लिये झारखंड क्षेत्र वह भू-भाग है जिसमें संथाल, मुंडा, हो, भूमिज, खड़िया, उराँव, पहाड़िया, कुर्मी, घटवाल आदि झारखंडी

जातियों का निवास है। यह क्षेत्र चार राज्यों - बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य-प्रदेश में बँटा था। अभी बिहार वाले हिस्से को लेकर झारखंड प्रांत का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर देने से अब मध्यप्रदेश का झारखंड वाला हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है।

उड़ीसा और (पूर्व में) मध्य प्रदेश में स्थित पाँच झारखंडी जिलों में तो झारखंडी जातियों की काफी सघन आबादी है, आधी से अधिक। फिर भी उन राज्यों में झारखंड आन्दोलन को ऐसे बर्बरता से कुचला जाता रहा है कि मानो झारखंडी देश से ही अलग हो जाना चाहते हों। झारखंडी दलों ने उन राज्यों में अलग प्रांत का आन्दोलन करने के लिये बहुत कम ही हिम्मत जुटाया है। दूसरे दलों ने तो उन प्रान्तों की झारखंडी आबादी का कभी ख्याल भी नहीं किया है। आदिवासियों की सघन आबादी के लिये अलग प्रांत के गठन की जरूरत पर अपने शुरू के कार्यक्रमों में जोर दी हुई सी०पी०आई०(एम) ने बंगाली राष्ट्रीयता के दबाव में आकर हमेशा झारखंड प्रांत के गठन का विरोध किया है बल्कि अभी जब बिहार के झारखंड वाले हिस्से को लेकर अलग प्रांत बनने की प्रक्रिया चल रही थी तब उसका भी सी०पी०आई० (एम) ने विरोध किया, इस डर से कि कहीं उस आधार पर उनको बंगाल के झारखंड वाले हिस्से को न देना पड़े।

लम्बे अरसे तक झारखंड का विरोध करते रहने वाले कांग्रेस, भाजपा, सी०पी०आई०, आदि राष्ट्रीय दलों ने सिर्फ राजनैतिक स्वार्थ से प्रेरित होकर झारखंड प्रांत की माँग का समर्थन किया और कभी-कभार बतौर खानापुरी मात्र सभा-जुलूस किये। इन दलों ने कभी भी झारखंडी जनता की विशिष्ट अस्मिता को संवैधानिक मान्यता देते हुए उनको राजनैतिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विकास की उनकी आकांक्षा को न कभी समझा है और न माना है।

खंडित झारखंड के स्वरूप को दो उदाहरणों से समझा जा सकता है। प्रथमतः भारत में संथाल जाति की आबादी लगभग 60 लाख है और यह आबादी एक लगातार के इलाके में बसती है। यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बीरभूम, बर्दवान, बाँकुरा, पुरूलिया, मयूरभंज, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, संथाल परगना, गिरिडीह और हजारीबाग के जिलों में पड़ता है। इनमें से सिर्फ बिहार के जिले झारखंड में आये हैं। आधी से अधिक संथालों की सघन आबादी नवगठित झारखंड राज्य के बगल में सटे इलाकों में छोड़ दी गयी है जिसका कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में एक जाति के रूप में एक इलाके में जुटने की संथालों की आकांक्षा पूरी नहीं हुई। संथालों के इस दुख को क्या कांग्रेस, भाजपा, सी०पी०आई० (एम) आदि समझते हैं ? स्वतंत्र भारत में जब आज भाषावार प्रांतों के गठन का लाभ उठाकर अपनी राष्ट्रीयताओं का विकास अन्य जातियाँ कर रही हैं, क्यों संथालों को टुकड़ों में बँटा रहना चाहिए ? यह क्रूर मजाक क्यों?

दूसरा उदाहरण और भी गजब का है। उराँव जाति की आधी आबादी बिहार में है और आधी सटे मध्यप्रदेश के इलाके में रही है। मध्यप्रदेश वाले इलाके को अब छत्तीसगढ़ में डाल दिया गया है। अब आप दिल्ली से लेकर राज्यों तक के बड़े-बड़े नेताओं से पूछिये कि जब तुमने झारखंड के इलाके को विहार से अलग किया है, और छत्तीसगढ़ को मध्यप्रदेश से अलग किया है तब छत्तीसगढ़ में झारखंड के हिस्से को छोड़ रखने का क्या तुक है ? छत्तीसगढ़ में सरगुजा और रायगढ़ जिलों में उराँव तथा अन्य झारखंडी जातियों की सघन आबादी है। आज जब उराँव जाति को एक राज्य में संगठित होने का मौका मिला है तो किस मूर्खता से प्रेरित होकर उनको जबरन छत्तीसगढ़ में डाला गया है?

उपरोक्त दोनों उदाहरण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस देश के राष्ट्रीय दलों ने अपने राजनैतिक स्वार्थों और देशी-विदेशी पूंजी के दबाव में आकर झारखंड के एक हिस्से को लेकर राज्य का गठन तो कर दिया है पर झारखंडियों की अस्मिता की प्रतिष्ठा की आकांक्षा को मान्यता नहीं दी है। अतः झारखंड की अस्मिता की लड़ाई जारी रहेगी और इतिहास को वैसे सरफरोश आंदोलनकारियों का इंतजार है जो इस लड़ाई को अंजाम पर पहुंचायें।

अपनी जमीन और सम्पदा को वापस पाना है

नवनिर्माण के संघर्ष का दूसरा मुद्दा अपनी जमीन और अपनी सम्पदा को वापस पाना है। आज हमें झारखंड मिला है तो इसका हम यही मतलब समझते हैं कि अब झारखंड की सारी जमीन और सम्पदा झारखंडी जनता की है। इस जमीन

और सम्पदा का उपयोग कैसे करना है, इसका निर्णय अब हम करेंगे। राजनैतिक स्वायत्तता का यही मतलब होता है। हमने झारखंड इसलिये हासिल नहीं किया कि बाहर के लोग हमारी जमीनों और हमारी सम्पदा के मालिक बने रहें और हम उनकी कुलीगिरी करते रहें। बाहर का खोल हमारा और अंदर का माल उनका - यह नहीं चलेगा। हम पूरा झारखंड लेंगे - खोल भी, माल भी; चाहे इसके लिये हमें जितना भी संघर्ष करना पड़े।

माल वापस पाने की योजना तो हम अलग से बनायेंगे, पर तत्काल यह बात पक्की हो जानी चाहिए कि अभी जो कुछ जमीन और सम्पदा हमारे पास बची है उसपर आगे किसी को दखल करने नहीं देंगे। अब और अधिक अपने पर्यावरण को बिगाड़ने नहीं देंगे। अब उचित मजदूरी के बिना हम किसी का काम नहीं करेंगे। हम सरकार को इस बात के लिये मजबूर करेंगे कि झारखंड राज्य के बजट का पैसा हमारी योजनाओं के अनुसार खर्च हो।

हम प्रकृति के साथ प्रकृति के बीच रहते हुए आधुनिकता को अपनाने में विश्वास करते हैं। हमारी संस्कृति प्रकृति का समारोह है। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम झारखंडियों का सोच मुनाफाखोर आधुनिकतावादियों से अलग है। हम उत्पादन निर्वाह के लिये करते हैं जबकि वे मुनाफा के लिये करते हैं। हमारी जीवन पद्धति सहयोग एवं सामुदायिकता पर आधारित है, उनका ढर्रा प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। हम सामुहिकता पर विश्वास करते हैं, उनका जीवन दर्शन व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि को आधार मानकर चलता है। हमारा तरीका वितरण है, उनका संचयन और केन्द्रीकरण है। हम प्रकृति के दोहन के साथ पुनर्नवीकरण भी करने पर विश्वास करते हैं, वे मुनाफा के लिये संसाधनों की ताबड़तोड़ लूट के सिद्धांत पर चलते हैं। हम सब में बराबरी के सिद्धांत को मानते हैं, वे सबको स्तरों में बांटते हैं और एक के द्वारा दूसरे पर शासन के सिद्धान्त पर चलते हैं। हम सह-जीविता के सिद्धांत का पालन करते हुए पूँजी के निर्माण को मानते हैं, जबकि वे शोषण द्वारा पूँजी निर्माण के सिद्धांत को मानकर चलते हैं।

आज झारखंड में उद्योग-धंधों का जाल विछाने की बात की जा रही है। जैसा कि ऊपर में बताया गया है, मुनाफाखोर आधुनिकतावादियों ने पिछले एक सौ वर्षों में अपने कार्यव्यवहार द्वारा यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा किये गये औद्योगीकरण से झारखंडियों को कोई फायदा तो हुआ नहीं, वरन् झारखंडियों की तबाही हुई है। इसलिये आज उद्योग-धंधों का जाल बिछाने की बातों से हमें यह स्पष्ट हो गया है कि इससे झारखंडियों की और भी अधिक तबाही होगी। नये उद्योगों द्वारा रोजगार देने की बात की जाती है पर वास्तविकता आज सब के सामने है। आज ऐसे उद्योग कायम किये जाते हैं जिनमें कम से कम कर्मचारियों की जरूरत होती है। अभी टाटा कम्पनियों तथा दूसरी कम्पनियों में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छँटनी की जा रही है। जहाँ तक उद्योगों से व्यापार और आनुषंगिक गतिविधियों के माध्यम से रोजगारों की सृष्टि का सवाल है वे रोजगार भी बाहरवालों को ही मिलते हैं। हाँ, विस्थापित झारखंडी उनके कुली, नौकर बन सकते हैं। यह कैसा विकास है जो हमें किसान से कुली बना दे!

इसके अलावा इन उद्योगों से हम झारखंडियों को तो कोई लाभ नहीं ही होता है, हमारी जमीनें जाती हैं और झारखंड की भूमि से तमाम खनिज निकाल कर खोखला कर दिया जा रहा है। बाहर वालों को समृद्ध करने के लिये हम झारखंड को क्यों खोखला होने दें, जहाँ ये खनिज दोबारा पैदा नहीं हो सकते हैं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इन खनिजों का सोच-विचार कर उतना ही उपयोग करें, जितना जरूरी हो। मात्र मुनाफाखोरों की मुनाफा की भूख मिटाने के लिये झारखंड की सम्पत्ति को 'राष्ट्रहित' और 'विकास' के नाम पर लुटा देना कहाँ की बुद्धिमानी है !

इसका यह मतलब नहीं कि हम उद्योग कायम करने का विरोध करते हैं। उद्योग खड़े होने चाहिए, पर ऐसे उद्योग जिन पर झारखंडियों का नियंत्रण हो, ऐसे उद्योग जिनसे झारखंडी जनता को रोजगार मिले। ताबड़तोड़ औद्योगीकरण से न तो झारखंडी जनता को फायदा होगा और न ही देश को; सिर्फ झारखंड की भूमि खोखली हो जायेगी, खनिज लुट जायेंगे, हम उजड़ जायेंगे, फायदा कुछ न होगा। वनोपजों जैसे लाह, तसर, करंज, साल, कुसुम, महुआ आदि पर आधारित उद्योगों का भी हम विकास करेंगे जिनसे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वनों का विकास और रक्षा भी होगी।

हमें ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो कायम रखी जा सके। यह नहीं कि आज खदान का माल खोदकर बेच लें, जंगल काट कर बेच लें, और कल बैठकर रोते रहें। ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो लोगों को तबाह न करे, न उजाड़े, पलायन के लिये मजबूर न करे, किसी को विस्थापित भी करता है तो उसका समुचित पुनर्वास उसके ही सांस्कृतिक परिवेश में करे। ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो प्रदूषण न फैलाये, जो भूक्षरण न होने दे। प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हो और विध्वंसक टेक्नोलॉजी का प्रयोग न हो।

हमने बड़े बाँधों, फायरिंग रेंज आदि झारखंड की तबाही के कारक परियोजनाओं का विरोध किया है और आगे भी करेंगे । हम उतने और वैसी ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे जिस पर हम नियंत्रण कर सकें; यह नहीं कि टेक्नोलॉजी हम पर हावी हो जाये । हम मौजूदा औद्योगिक संस्थानों को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वे हमारी जरूरत के अनुसार विकास के कुछ कार्य कालबद्ध रूप से पूरा करने की गारंटी करें ।

हम भूमंडलीकरण के नाम से साम्राज्यवाद कायम करने का विरोध करते हैं और हम व्यक्तिवादी निजीकरण का विरोध करते हैं । हम समुदायीकरण को मानते हैं । साम्राज्यवाद का विरोध झारखंडियों के खून में है । हम हजारों वर्षों से साम्राज्यवादी प्रयासों का विरोध करते आये हैं और आगे भी करेंगे ।

बहुत से लोग झारखंड के बनने पर इस बात को लेकर नाचते हैं कि झारखंड में अपार खनिज सम्पदा है । जिस सम्पदा पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं वह हमारा किस काम का । हम यह मानकर चलते हैं कि झारखंड की मुख्य सम्पदा झारखंड के लोग हैं, खनिज नहीं । हमें झारखंड के लोगों को शक्तिसम्पन्न करना है जिससे हम अपनी हर सम्पत्ति पर दखल कर सकें, उसका उपयोग कर सकें ।

हम झारखंड के सभी प्रकार के संसाधनों की मैपिंग करेंगे जिसमें मानव हुनर भी शामिल होंगे । उनका विकास करेंगे और उन पर नियंत्रण और प्रयोग करेंगे।

भूमि अधिग्रहण पर रोक

हमारी जमीनें छीनने के लिए उसे एक सुन्दर नाम दिया गया है -- भूमि अधिग्रहण । राष्ट्रहित एवं जनहित के नाम से सरकार हमारी जमीनें छीनकर बाहर के लोगों को दे देती है । बिरसा, सिदू-कानू आदि क्रान्तिकारियों के संघर्ष के फलस्वरूप हमारी जमीनों की हड़प पर रोक के लिए कानून बने थे लेकिन उन कानूनों में इतने छेद रखे गये कि कानून के बावजूद हमारी जमीनें हम से छिनती गयीं और बाहर के लोग विशाल इलाकों को अपने कब्जे में लेते रहे । साथ ही विस्थापितों का पुनर्वास भी नहीं किया गया । अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम और छोटानागपुर एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियमों को और भी ढीला बनाया जा रहा है ताकि जमीनें और अधिक आसानी से छीनी जा सकें । हम अब जमीनों का अधिग्रहण रोकेंगे । जमीन अधिग्रहण कानूनों को इतना सख्त बनाने के लिए हम सरकार को मजबूर करेंगे कि जब तक हमें स्वीकार न हो और साथ ही हमारा समुचित पुनर्वास न हो जाये तब तक हमसे जमीनें नहीं ली जा सकें ।

इसके अलावा हमें हमारी हड़पी गई जमीनों को वापस पाने के लिए संघर्ष करना होगा । हम गैर मजरूआ जमीनों का उपयोग सामुदायिक कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए करेंगे। जमीनों की चकबन्दी करेंगे ताकि किसान अपनी जमीनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें । भूमि का अद्यतन सर्वे करायेंगे ताकि अतीत में की गयी गलतियों और धांधलियों का प्रतिकार हो ।

विस्थापन झारखंडी जनता की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जमीनें मुफ्त में या कौड़ी के मोल जबरन ले ली गयी हैं और लाखों लोग विस्थापित कर दिये गये। आज भी ये उजड़े झारखंडी झारखंड के अन्दर और बाहर दर-दर ठोकरें खा रहे हैं। हम उनको न्याय दिलायेंगे। हम उनका समुचित पुनर्वास करायेंगे। हम सरकार को एक सही विस्थापन नीति बनाने के लिए मजबूर करेंगे कि विस्थापन सिर्फ जमीन के मालिक (काश्तकार) की सहमति से हो और अगर विस्थापन सार्वजनिक हित में अनिवार्य हो तो विस्थापितों का ऐसा समुचित पुनर्वास हो कि वह उससे संतुष्ट हो। इसके लिए समुचित पुनर्वास अधिनियम बनाने की जरूरत है।

खेती हमारी ढाल, हमारी ताकत

दुश्मन पहले हमें मोहताज वनाता है और तब हमें बेदखल करता है। अगर हम अपनी जमीनों से पर्याप्त अन्न उपजा न सकें तो हम दूसरों के मोहताज रहते हैं। जमीन हड़पने वाले हमारी जमीनों को बेकार की जमीनें करार देकर कौड़ी के मोल ले लेते हैं और हमें मजदूरी का काम देकर हमें जताते हैं कि वे हम पर मेहरबानी कर रहे हैं। इस तरह हम अपनी जमीनों से हाथ धोकर दूसरों के गुलाम वन जाते हैं।

सबसे पहले यह समझ लेना चाहिए कि हमारी जमीनें बेकार की नहीं हैं। इनसे इतना सारा अन्न तथा दूसरे खाद्य पदार्थ या नकद फसल उगाये जा सकते हैं कि हमें न सिर्फ साल भर भोजन मिल जायेगा बल्कि हमारी दूसरी जरूरतें भी पूरी हो जायेंगी।

जमीनें जायेंगी तो अधिक से अधिक परिवार के एक आदमी को एक छोटी सी नौकरी मिलेगी, जबकि जमीन रहने से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे जीविका अर्जन कर सकेगी। हमें कमजोर वनाकर हमें गुलाम वनाने और हमारी जमीनें छीनने के उद्देश्य से हमेशा हमारी जमीनों को खेती के लिए अनुपयोगी बताया गया और हमारी जमीनों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गयी। वरन् हमारी सम्पदा से प्राप्त राजस्व का उपयोग झारखंड के बाहर की जमीनों की सिंचाई के लिए किया गया।

अब हम सिंचाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे। हम सरकार को बजट का 25 प्रतिशत सिंचाई पर खर्च करने के लिए मजबूर करेंगे। सरकार से प्राप्त रुपयों और अपनी मेहनत से हम सिंचाई के ऐसे साधन कायम करेंगे जो स्थायी होंगे, जिनसे जल एवं भूमि का संरक्षण होगा हमारे मत्स्य पालन एवं बागवानी में मददगार होंगे। हम एकाधिक फसल लगायेंगे, टांड़ भूमियों पर बागवानी करेंगे, सब्जी तथा अन्य उपयोगी नकद फसल उगायेंगे, मुर्गी, सुअर, मवेशी आदि का पालन करेंगे। इसके अलावा वनोपजों का सदुपयोग करेंगे। इन सभी पद्धतियों से इतनी खाद्य

सामग्री का हम उत्पादन करेंगे कि किसी भी झारखंडी को भूखे न रहना पड़े।

वन अन्य उपयोगों के अलावा हमारे भोजन के भी मुख्य स्त्रोत हैं। हम वनों की रक्षा और विकास करेंगे। वनों पर हम झारखंडी अपने ऐतिहासिक अधिकार और नियंत्रण के लिए संघर्ष करेंगे।

पर्यावरण की रक्षा करनी है, दुरुस्त करना है

बाहर से आये लोगों ने यहाँ के पर्यावरण को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। जंगलों के कटने के पहले इस इलाके में जितनी वर्षा होती थी आज उसकी आधी ही होती है। जंगलों के कटने से जमीन की जल ग्रहण क्षमता घट गयी और वर्षा जल से मिट्टी दरकती-बहती जाती है।

प्राकृतिक वनों के विनाश से जीव मंडल की अपूरणीय क्षति हुई है । सुखाड़ एक स्थायी समस्या वन गयी है, जिससे खेती पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

अब हम जंगल कटने नहीं देंगे। साथ ही हम इतने पेड़ लगायेंगे कि कटे जंगलों की भरपाई हो। हम जल छाजन की पद्धतियों को अपनाकर वर्षा जल को बह जाने से रोकेंगे ताकि खेती के लिए पानी मिले, भूक्षरण न हो, भू-जल स्तर ऊंचा हो, नदी-नालों में गाद न जमें, नदी-नालों में पानी की मात्रा बढ़े और साथ ही बाढ़ न आये।

हम नदियों की सफाई के लिए अभियान छेड़ेंगे और नदियों में कारखानों और शहरों का गंदा पानी मिलने नहीं देंगे। इस तरह नदी जल के शुद्धीकरण से नदी में मछलियाँ बढ़ेंगी और हमारा भोजन समृद्ध होगा।

हम ऐसी ऊर्जाओं (सौर, वायु आदि) का विकास करेंगे कि प्रदूषण भी न हो, और ऊर्जा सदा उपलब्ध भी हो सके।

जहाँ खदानों से जमीनें बरबाद कर दी गयी हैं वहाँ हम भूमि को फिर से भरने व यथासम्भव समतल करने के लिए सरकार एवं खदान चलाने वालों को

मजबूर करेंगे ताकि उनका उपयोग खेती या बागवानी के लिए हो सके।

झारखंड में जहाँ-तहाँ पत्थर खदानों से भूमि बुरी तरह प्रभावित हुई है। भूक्षरण बढ़ा है और जोरिया में जल प्रवाह बाधित हुआ है। पत्थर खदानों की लीज ग्राम सभा द्वारा दी जायेगी। लीज लेने वालों पर अब यह शर्त लागू होगा कि पत्थर निकालने के बाद उस स्थल पर सघन वृक्षारोपण करके भूक्षरण पर रोक सुनिश्चित करें। खदान स्थल पर एक बोर्ड लगाना अनिवार्य रहेगा, जिस पर खदान की प्लाट संख्या और लीज की अवधि लिखी रहनी चाहिए।

हम गलत प्रकार के रसायनों और गलत बीजों का प्रयोग होने नहीं देंगे। हम जैविक कृषि करेंगे तथा अपने परम्परागत अनाजों की रक्षा करेंगे।

उचित मजदूरी

देश में सबसे कम मजदूरी झारखंड में मजदूरों को दिया जाता है। हम पूरे झारखंड के किसान-मजदूर एकजुट होकर अपनी मजदूरी राष्ट्र स्तर की करने के लिये संघर्ष करेंगे तथा तमाम श्रम कानून लागू करने के लिये नियोजकों और सरकार को मजबूर करेंगे।

स्वास्थ्य और शिक्षा

झारखंडी जनता के लिये आज लगभग कोई भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्र सिर्फ परिवार नियोजन के काम में लगे हैं। एक दो बच्चों वाली माताओं को प्रलोभन देकर ऑपरेशन करा दिया जाता है। अक्सर गरीबों के वे एक दो बच्चे भी स्वास्थ्य सेवा के अभाव में मर जाते हैं। जो कुछ स्वास्थ्य सेवा है वह सिर्फ दिखाने के दाँत हैं। अभी सरकार रही-सही स्वास्थ्य सेवा की भी जिम्मेदारी से मुक्त होने के प्रयास में है। उदारीकरण-निजीकरण-भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य सेवा के काम को निजी संस्थाओं के हाथों में सौंपा जा रहा है। अपोलो जैसे चकाचौंध अस्पतालों तथा नर्सिंग होम जहाँ-तहाँ उभर रहे हैं। इनका फायदा सिर्फ सम्पन्न वर्ग ही ले पाते हैं। गरीब झारखंडी इन अस्पतालों के शुल्क नहीं चुका सकते हैं। हम सरकार को बजट का **15** प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा के लिये रखने तथा ग्रामीणों

शहरी गरीबों के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था के लिये मजबूर करेंगे। यह स्वास्थ्य सेवा सामुदायिक नियंत्रण में रहेगी, क्योंकि भ्रष्ट नौकरशाही के चलते जनकल्याण योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। हम तब तक तीन बच्चों के बाद ही परिवार नियोजन ऑपरेशन को उचित मानेंगे जबतक शिशु एवं बाल मृत्यु पूरी तरह रोक नहीं दिया जाता।

इसी प्रकार शिक्षा का भी आज तेजी से निजीकरण होता जा रहा है जिससे गरीब जनता शिक्षा से वंचित हो रही है। हम झारखंड में दोहरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करेंगे। यहाँ सभी स्कूलों में पढ़ाई निःशुल्क होगी और शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होंगी। हर प्रखंड में कम से कम एक ऐसा तकनीकी संस्थान कायम होगा जो निःशुल्क चिकित्सा सहित सभी हुनरों में लोगों को प्रशिक्षित करेगा। संस्थान में इतनी व्यवस्था रहेगी कि प्रखंड के सभी उम्मीदवार छात्रों को स्थान प्राप्त हो। शिक्षा के लिये बजट का **15** प्रतिशत उद्दिष्ट रहेगा और सारी शिक्षा व्यवस्था सामुदायिक नियंत्रण में रहेगी। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा झारखंडी भाषाओं के माध्यम से दी जायेगी और क्रमशः उन भाषाओं में पर्याप्त पुस्तकें होने के साथ उनका प्रयोग उच्च शिक्षा में भी किया जायेगा। साथ ही हिन्दी और अंग्रेजी की पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसे हो कि उस शिक्षा से हमारे लोग आत्मनिर्भर बन सकें, उनमें हुनरों का विकास हो ताकि वे खुद कृषि, उद्योग, व्यापार आदि बखूबी संभाल सकें, लोगों में सामुदायिकता, सहभागिता और समता के मूल्य विकसित हों, बच्चे पर्यावरण को बचाना सीखें और वे अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ लड़ना सीखें।

हम ऐसी व्यवस्था करने के लिये सरकार को मजबूर करेंगे कि एक वर्ष के अन्दर सभी गाँवों को **24** घण्टे बिजली की आपूर्ति हो।

महिलाओं को हर क्षेत्र में समान हैसियत प्राप्त हो इसके लिये हम हर संभव प्रयास करेंगे। महिलाओं को पंचायत से लेकर संसद तक सभी निकायों व सदनों में

33 प्रतिशत का आरक्षण सुनिश्चित करने के लिये हम संघर्ष करेंगे। महिला थानों और महिला कोर्टों की व्यवस्था की जायेगी ताकि महिलाएँ पुलिस कर्मियों के आतंक से आतंकित न हों और पुरुषों के पूर्वाग्रह की शिकार न हों। झारखंड में तत्काल महिला आयोग गठित करना होगा। महिलाओं को सम्पत्ति पर समान हक होगा।

इसी प्रकार दलितों को न्याय दिलाने के लिये विशेष व्यवस्था होनी चाहिए और प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक दलित सेलों की व्यवस्था होगी।

न्याय व्यवस्था

हम तत्काल एक आयोग बैठायेंगे जो झारखंड के अदालतों में लंबित छोटे-मोटे मामलों का जायजा लेकर उनको जन अदालतों में एक वर्ष के अन्दर निपटाने की कोशिश करेंगे। ऐसे छोटे-मोटे मामलों में सजा की अवधि से ज्यादा जेलों में विचाराधीन कैदियों के रूप में रह चुके लोगों को तत्काल रिहा कर दिया जायेगा और मामले रद्द कर दिये जायेंगे। जेलों की हालत में शीघ्र सुधार करना होगा। जेलों में अस्वास्थ्यकर हालात के चलते काफी संख्या में मौतें हुई हैं जिसके लिये सरकार जिम्मेवार है। इस प्रकार मृत कैदियों के परिवारों को 5 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाना चाहिए। जेलों में क्षमता से अधिक बंदी नहीं रखे जायेंगे और जेलों में बंदियों पर दमन करने वालों को तत्काल कड़ी सजा दी जायेगी। जेलों में स्वच्छता, समुचित जल, शौचालयों और पोषाहारयुक्त भोजन की व्यवस्था होगी। सजायाफ्ता कैदियों और विचाराधीन कैदियों को अलग-अलग रखा जायेगा। विचाराधीन कैदियों से उनके रिश्तेदारों-दोस्तों को कभी भी बेरोक मुलाकात करने की व्यवस्था होगी।

शासन व्यवस्था में सुधार

शासन व्यवस्था को सही माने में जनतांत्रिक बनाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। पंचायत स्तर पर ग्राम सभा को अपने क्षेत्र से संबंधित तमाम निर्णय लेने के अधिकार होंगे। शासन व्यवस्था से भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये जनता द्वारा एक समझौताहीन कार्य योजना चलायी जायेगी। विधायक, सांसद और सरकारी अधिकारी सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार होंगे। किसी भी व्यक्ति के अधिकारियों के पास किसी काम के सिलसिले में पहुँचने पर उन्हें बैठाकर इज्जत से बात करनी होगी। एक जन शिकायत निवारण मंच के माध्यम से अफसरों, विधायकों व सांसदों के आचरण पर विचार किया जायेगा। पुलिस थानों के कार्य व्यवहार की निगरानी के लिये एक सामुदायिक व्यवस्था होगी। अनुत्पादक व्यय समाप्त किये जायेंगे। विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन जनता द्वारा किया जायेगा। जनता का सही प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले विधायकों व सांसदों की वापसी होगी। इन सभी में आवश्यक निर्णयों के लिये जरूरी कानून बनाये जायेंगे।

नशाबंदी

शराब बनाने, बेचने, रखने और सेवन करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

सूचना का अधिकार

झारखंड में शासन व्यवस्था द्वारा किये जाने वाले सभी निर्णयों और गतिविधियों की पूरी जानकारी जनता को दी जायेगी। जनता का कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी अधिकारी से उसके अधिकार क्षेत्र में आनेवाली किसी भी बात को जानने का हकदार होगा।

धर्म

धर्म को राजनीति से अलग रखा जायेगा। धर्म को राजनीति का हथकंडा बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म पालन की पूरी छूट होगी, लेकिन धर्म के नाम पर सार्वजनिक रूप से ऐसी गतिविधियाँ करने से रोका जायेगा जिससे आम जनता को बाधा पहुँचे। लालच या दबाव द्वारा या अन्य हथकंडों से लोगों के धर्म परिवर्त्तन के प्रयासों को रोका जायेगा, चाहे वे प्रयास ईसाईयों द्वारा हों, हिन्दुओं द्वारा हों, मुसलमानों या अन्य किसी के द्वारा।

झारखंड का एक मूल धर्म सरना धर्म है, लेकिन अन्य धर्म वाले उस धर्म को मान्य नहीं करके झारखंडियों को अपने धर्म में लाने के लिये लगातार प्रयास करते हैं और इस प्रयोजन के लिये वे सरना धर्मावलंबियों को कच्चा माल समझते हैं। इस रवैये का सख्त विरोध किया जायेगा। सरना धर्म को भी अन्य धर्मों के समान मान्यता दी जायेगी। जनगणना में सरना का भी उल्लेख अन्य धर्मों की तरह किया जायेगा।

झारखंड का नव-निर्माण भारत के अन्य राज्यों की जनता के लिये मार्ग दर्शन करेगा और हम अदूर काल में देश में एक सच्चे, खुशहाल जनतंत्र की स्थापना करेंगे जहाँ कोई अन्याय, अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न न हो। सब लोग खुशी से जीवन का उत्सव मनायें।

आंकड़ों की नजर में झारखंड राज्य

क्रम संख्या	मद	
1.	क्षेत्रफल (किलोमीटर)	79714
2.	आवासीय घरों की संख्या	3596370
3.	परिवारों की संख्या	3808361
4.	जनसंख्या पुरुष	11363853
	स्त्री	10480058
	कुल	21843911
5.	जनसंख्या घनत्व (वर्ग कि.मी.)	274
6.	अनुसूचित जातियों की संख्या	
	पुरुष	1347254
	स्त्री	1241998
	कुल	2589252
7.	अनुसूचित जनजातियों की संख्या	
	पुरुष	3059715
	स्त्री	2984295
	कुल	6044010
8.	साक्षरता दर	
	पुरुष	55.8
	स्त्री	25.52
	कुल	41.39
9.	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	
	(1997-98)	192850
10.	कुल सिंचित क्षेत्र	
	(1997-98)	
	खाद्यान्न फसल अनाज	1743804
	दाल	158466
	कुल खाद्यान्न फसल	1902270
	तेलहन	60162
	फाइवर फसल	2537
	अन्य फसल	64161
11.	उत्पादन (1997-98)	
	मेट्रीक टन में	
	अनाज	2017337
	दाल	117530
	कुल खाद्यान	2134867
	दलहन	39259
	फाइवर फसल	2315
	अन्य फसल	494583
12.	उत्पादकता (1997-98)	
	किलोग्राम हेक्टर में	
	अनाज	1157
	दाल	724
	कुल खाद्यान फसल	1122
	दाल	653
	फाइवर फसल	912
	अन्य फसल	771
13.	भूमि का उपयोग (1997-98)	
	हेक्टर में	
	भौगोलिक क्षेत्र	7970081
	वन	3332549
	बाजार और भूमि कृषि आयोग्य	573094
	कृषि योग्य बेकार भूमि	277501
	स्थायी बंजर एवं दूसरे चारागाह भूमि	87852
	भूमि का अन्य उपयोग परती	110075
	दूसरे भूमि (2 से 5 वर्ष)	779353
	तत्काल परती भूमि (1 वर्ष)	1212700
	कुल कृषि आयोग्य भूमि	6162177
	शुद्ध कृषि अयोग्य भूमि	1807904
	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	2068477
	एक फसल से अधिक उत्पादक क्षेत्र	260573
14.	राज्य का कुल घरेलु उत्पादक	
	(1990-91) लाख में	1047825
15.	राज्य का शुद्ध घरेलु उत्पादक	
	(1990-91) लाख में	899881
16.	प्रति व्यक्ति अन्य (रूपये में)	4161
17.	स्वास्थ्य सरकारी अस्पताल	18
	विस्तर की संख्या 3739	
	सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र	3739
	चिकित्सा पदाधिकारी	1132
	व्यक्तिगत पारामेडिकल की संख्या	